

रल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह फरवरी-2015

माह	मामले		संपत्ति की कोमत रु. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मि	आरपीएफ
फरवरी-15	26	26	91282	91282	67	—	—

बुकशुदा संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह फरवरी-2015

माह	मामले		संपत्ति की कोमत रु. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मि	आरपीएफ
फरवरी-15	01	01	1500	1500	01	—	—

रेल सामग्री की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह फरवरी-2015

माह	मामले		संपत्ति की कोमत रु. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मि	आरपीएफ
फरवरी-15	27	27	92782	92782	68	—	—

रे.सु.ब. द्वारा माह फरवरी-15 के दौरान किये गये अच्छे कार्यों ब्यौरा

1. दिनांक 09.02.2015 को प्रधान आरक्षक श्री दर्शन सिंह एवं आरक्षक श्री पुष्पेन्द्र सिंह जादौन की ड्यूटी गाड़ी संख्या 12142 अप राजेन्द्रनगर-लोकमान्य तिलक एक्स में जबलपुर से इटारसी तक अनुरक्षण के दौरान करेली स्टेशन निकलने के बाद एक 09 वर्षीय बालक लावारिस हालत में पाया गया जिससे पूछताछ के करने पर अपना नाम मनीष पिता श्यामलाल उम्र 9 वर्ष निवासी आरा बिहार बताया तथा अपनी मम्मी की डोट व मारने के कारण घर से भागना बताया। उक्त बालक को रेसुब पोस्ट जबलपुर लाकर बालक द्वारा बताये गये नंबर 0977119979 पर संपर्क कर उसके चाचा श्री संदीप को जबलपुर बुलाकर उक्त बच्चे को सुपुर्द किया गया।
2. कटनी पोस्ट के अंतर्गत दिनांक 23/02/15 को निरीक्षक कटनी हमराह स्टाफ समय लगभग 11:30 बजे सूचना प्राप्त होने पर डिप्टी एस.एस. कार्यालय, कटनी पहुँचे। डिप्टी एसएस श्री भास्कर कुमार ने एक व्यक्ति को सुपुर्द किया जिसने अपना नाम व पता सौरभ यादव पिता श्री भोर बहादुर यादव उम्र-19 वर्ष निवास ग्राम कोपा पोस्ट गौरामाफी थाना आसपुर देवसरा जिला प्रताप गढ (उ.प्र.) बताया व बताया कि वह घर से बिना बताये घर से भागना बताया जिसको रेसुब पोस्ट कटनी लेकर आया पूछताछ कर उसके बताये मो.न.9695264555 पर मेरे सी.यू. जी.न.9752419085 से उसके मामा श्री प्रदीप यादव पिता श्री मिठाई लाल यादव उम्र-29 वर्ष निवास 12/5/6 आलोपी बाग इलहाबाद (उ.प्र.) को उसके कटनी थाने में होने की जानकारी देकर कटनी पोस्ट आने पर पहचान करने पर सौरभ को उसके मामा प्रदीप को सकुशल गवाहों के समक्ष सुपुर्द किया।
3. दिनांक 03.02.2015 को रेसुबल पोस्ट इटारसी यार्ड में शिफ्ट समय 16.00 से 24.00 बजे जुझारपुर-इटारसी के मध्य अपराध की रोकथाम डियूटी पर तैनात प्रधान आरक्षक भगवान दास व आरक्षक आर.के.खण्डाते के द्वारा यात्री गाड़ी सं. 12627 डा. कर्नाटका एक्स. के इटारसी आउटर पर धीमी गति से गुजरने के दौरान चलती गाड़ी से संदिग्ध 02 व्यक्ति बैग सहित उतरे, शक होने पर उन्हें रोका गया एवं पूछताछ किये जाने पर एक व्यक्ति ने अपना नाम दुष्यंत सिंह पुत्र पुष्पेन्द्र सिंह उम्र 22 साल निवासी-विठवाड़ा थाना बाली जिला पाली, राजस्थान हाल मजीवड़ा थाणे महाराष्ट्र एवं दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम अंशुल जैन पुत्र प्रकाश जैन उम्र 22 साल निवासी-नेपानगर जिला बुरहानपुर हाल घाटकॉपर मुंबई बताया। उनके पास मौजूद बैग में सामान के संबंध में पूछने पर संतोषजनक जवाब न देने पर संदेह होने पर बैग की तलाशी लिये जान पर उसमें 11,54,870/-रुपये की नगद राशि पाई गई, जिसके संबंध में उनके पास किसी भी प्रकार का वैध परिपत्र नहीं पाया गया। अतः लिखित प्रतिवेदन जीआरपी इटारसी को दिया गया जिस पर जीआरपी इटारसी द्वारा अपराध क्रमांक 01/15 व 02/15 धारा 41 (1)-4 सीआरपीसी व 379 आईपीसी के तहत दर्ज कर दिनांक 05.02.2015 को आरोपियों को न्यायाधिक हिरासत में जेल भेजा गया। प्रकरण के संबंध में जीआरपी इटारसी से जानकारी प्राप्त की गई तो अवगत कराया गया कि अपराध क्रमांक 02/15 धारा 41 (1)-4 सीआरपीसी व 379 आईपीसी को असल अपराध क्रमांक 48/2015 धारा 379 आईपीसी में शुमार किया गया जाकरी विवेचना की जा रही है।
4. दिनांक 25.02.2015 की रात्रि को एनसीबी इन्दौर तथा आर.पी.एफ. स्कार्ट पार्टी की सूचना पर गाड़ी क्रमांक 12626 अप केरला एक्सप्रेस के इटारसी स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक 02 पर समय 03.00 बजे आगमन पर शिफ्ट प्रभारी सहायक उप निरीक्षक कमल सिंह यादव द्वारा मय स्टाफ उक्त गाड़ी के ए-1 कोच को अटेंड कर कोच में उपस्थित एनसीबी इन्दौर के सहायक समादेशक श्री आर.व्ही. श्रीमाली तथा उनकी टीम से मिले। एनसीबी टीम की सहायता करते हुए उक्त कोच की बर्थ नं. 13 व 15 पर नई दिल्ली से रेनीगुन्टा (पीएनआर नं. 2202590419) की यात्रा कर रहे दो व्यक्तियों को उतारा गया, तथा पूछताछ करने पर उनके द्वारा अपना नाम पता 01-मोहम्मद फारूख पुत्र जमालुद्दीन आयु 37 साल निवासी-बहादुर आलम स्ट्रीट शिवमंगायी तमिलनाडु, 02-एफ. फखरुद्दीन पुत्र एस.फिरोज खान आयु 25 साल निवासी-अब्दुल करीम स्ट्रीट ट्रिपली कैन चेन्नई बताया तथा उनके पास उपलब्ध बैग को खोलकर देखा गया तो उसमें, सर्फ एक्सल, टाइड, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, बूस्ट, कम्प्लान, ग्लूकान डी आदि के पैकेट थे जिन्हें एनसीबी की टीम द्वारा खोलकर चेक करने पर उन सभी में स्वापक द्रव्य (एफीड्रीन) होना बताया। बाद निरीक्षक रेसुबल इटारसी श्री एस.के.बाजपेई, उप निरीक्षक विजय सिंह, सहायक उप निरीक्षक कमल सिंह यादव, महिला आरक्षक रानू विश्वकर्मा, महिला आरक्षक प्रतिमा दमाड़े द्वारा उक्त स्वापक द्रव्य की जप्ती, आरोपियों की गिरफ्तारी तथा उनकी सुरक्षा में एनसीबी टीम की हर संभव सहायता की गयी। पकड़े गए दोनों आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उक्त एफीड्रीन को दिल्ली से चेन्नई ले जा रहे थे, जो कि उनके द्वारा पच्चीस लाख रुपये में खरीदी गयी थी तथा चेन्नई होते हुए उक्त एफीड्रीन की सप्लाय मलेशिया में की जानी थी, जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 05-06 करोड़ रुपये है। उक्त बल सदस्यों द्वारा अपनी दैनिक ड्यूटियों में अति व्यस्त होने के बावजूद भी एनसीबी टीम की हरसंभव सहायता कर अन्तर्राष्ट्रीय ड्रग तश्कर गिरोह के दो तश्करों को संयुक्त कार्यवाही कर पकड़वाने तथा उनके कब्जे से 24.840 किग्रा एफीड्रीन को जप्त कराने की कार्यवाही में अहम भूमिका निभायी गयी, जिनके विरुद्ध एनसीबी इन्दौर द्वारा अपराध क्रमांक 2/15 अन्तर्गत धारा 9(ए), 25(ए) व 29 एनडीपीएस एक्ट दिनांक 25.02.2015 दर्ज किया गया है।
5. दिनांक 26.02.2015 मंडल सुरक्षा नियंत्रण कक्ष भोपाल से सूचना प्राप्त हुई कि गाड़ी क्रमांक 12321 हावड़ा मुम्बई मेल से एक नाबालिक लड़का प्रिन्स कुमार घर से भाग गया है। उक्त सूचना पर रेसुबल इटारसी के शिफ्ट प्रभारी श्री कमल सिंह यादव व प्रधान आरक्षक ओम प्रकाश झारिया द्वारा दिनांक 27.01.2015 को समय 01.40 बजे गाड़ी

क्रमांक 12321 हावड़ा मुम्बई मेल के इटारसी स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक 06 पर आगमन के समय, चैक किया गया तो उक्त गाड़ी के एस-3 कोच में एक लड़का मिला, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम पता प्रिन्स कुमार पुत्र श्री मायापति सिंह आयु 13 वर्ष निवासी-ग्राम दौनपुरा, थाना धीना जिला चन्दौली उ.प्र. बताया तथा बताया कि वह अपने पिता के साथ चतुर्थ वाहिनी पीएसी धूमनगंज इलाहाबाद में रहता है, और अधिक समय तक खेलने के बाद अपने पिताजी डांट खाने के डर से घर से भाग आया है। बाद सहायक उप निरीक्षक द्वारा उक्त लड़के को गाड़ी से उतारकर पोस्ट पर लाया गया और उक्त संबंध में लड़के के पिता श्री मायापति सिंह को सूचित किया गया, जिस पर श्री मायापति सिंह रेल सुरक्षा बल इटारसी स्टेशन पोस्ट पर उपस्थित हुए। जहाँ प्रिन्स कुमार ने श्री मायापति सिंह को अपने पिता तथा श्री मायापति सिंह ने प्रिन्स कुमार को अपने पुत्र के रूप में पहचाना। बाद दो गवाहों के समक्ष सुपुर्दगीनामा के तहत प्रिन्स कुमार को उनके पिता श्री मायापति सिंह को सुपुर्द किया गया।

6. दिनांक 14.02.2015 को बीना स्टेशन पर गाड़ी संख्या 12616 अप पर रेसुब पोस्ट बीना से सउनि एस.एस. कुन्डू को गस्त के दौरान एक लावारिस बालक घूमते दिखाई दिया जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम देवेन्द्र तिवारी पुत्र प्रकाश तिवारी उम्र 17 वर्ष निवासी रिसरा फाटक दतिया थाना सिविल लाईन दतिया जिला दतिया (मध्यप्रदेश) बताया तथा घर से भागकर आना बताया टिकिट इत्यादि उसके पास नहीं था। घर का मोबाईल नं. पूछने पर मोबाईल नं. 08827766309 बताया जिसको लगाने पर नंबर लग नहीं रहा था। बाद सउनि द्वारा उक्त बच्चे को रेसुब पोस्ट बीना पर लाया गया तथा उसके बताये मोबाईल नं. पर बार-बार संपर्क किया गया लेकिन उस नं. पर बात नहीं हो पाई उप निरीक्षक बीना द्वारा उक्त बच्चे के संबंध में चाइल्ड लाइन सागर से संपर्क कर उक्त बालक के बारे में जानकारी दिया गया कुछ समय बाद चाइल्ड लाइन सागर से मोनू मोरिस सदस्य जिसका मोबाईल नं. 8718805809 तथा मुकेश घोशी सदस्य जिसका मोबाईल नं. 8718805811 दोनों पर रेसुब पोस्ट बीना पर उपस्थित हुये जिन्होंने उक्त बच्चे से पूछताछ किया बाद 02 गवाहों के समक्ष उक्त बालक को चाइल्ड लाइन से आये सदस्यों को सुपुर्द किया गया।
7. दिनांक 09.02.2015 को रेसुबल पोस्ट भोपाल पोस्ट से सउनि एस एस भदौरिया तैनाती विदिशा हाल भोपाल गस्त के दौरान भोपाल स्टेशन पर समय करीबन 03.15 बजे पीएफ नं. 01 के बीना छोर पर बेंच पर 02 लड़कों को साथ में बैठे हुये देखा व उनके आस पास कोई अन्य व्यक्ति दिखाई नहीं दिया, शक होने पर लड़कों से पूछताछ करने पर अपना नाम व पता-01 तन्मय भारद्वाज उम्र 16 साल नि0 दीन दयाल नगर ग्वालियर 02 आदित्य पुत्र उम्र 16 साल नि. ईएल 715 दीन दयाल नगर ग्वालियर मप्र का होना बताया तथा बताया कि दिनांक 08.02.15 को दोनों ट्यूसन पढ़कर शाम के समय 06-07 बजे ग्वालियर स्टेशन पर आये और मौज मस्ती करते हुये प्लेटफार्म पर खड़ी गाड़ी में बैठ गये आर उन्हे नींद आ गई, जिससे वह दोनों भोपाल आ गये। उक्त लड़कों को दिनांक 09.02.2015 को उनके परिजन रेसुब पोस्ट भोपाल पर उपस्थित होने पर दोनों बालकों को समक्ष गवाहन बिना किसी शिकवा शिकायत के सुपुर्द किया गया है।
8. दिनांक 02.02.2015 को गाड़ी संख्या-12952 राजधानी एक्स0 की सुरक्षा में नई दिल्ली से कोटा तक एस्कोर्ट पार्टी सउनि अशोकराम मीना, प्र0आर0 रामप्रकाश के0 व आर0 सुनील बेहरा तैनात थे। इस्कोर्टिंग के दौरान कोच नं. बी-9 के कोच कण्डक्टर श्री एस0आर0 शुक्ला ने लिखित में मेमो दिया कि एक लड़की जिसका नाम सुदेश रानी है उसके पास द्वितीय श्रेणी मेल एक्स0 का नई दिल्ली से मुम्बई सेन्टल तक का टिकिट सं0 30300266 है जो राजधानी में मान्य नहीं है और न ही उसके पास अतिरिक्त किराया भरने के लिये पैसा है अतः आप इसे कोटा में उतारे। सउनि अशोकराम मीना ने मेमो प्राप्त कर उक्त लड़की से पूछताछ किया तो उसने अपना नाम सुदेश रानी पुत्री श्री विनोद कुमार, उम्र-18 वर्ष, जाति-जाट, निवासी-म0न0 1450 भिवानी, हरियाणा बताया। उसके को पिता संपर्क किया तो बताया कि वह मेरी पुत्री है जो घर से नाराज होकर निकली है और आप से अनुरोध है कि आप इसे अपने साथ कोटा में उतार लें। कोटा में ही मेरा सगा भतीजा नाम सुनील ऐलन कोचिंग क्लास में प्री मेडिकल की कोचिंग ले रहा है मैं उसे रेलवे स्टेशन आरपीएफ कोटा थाने पर भेज रहा हूँ। गाड़ी के कोटा आगमन पर उक्त लड़की को उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया।
9. दिनांक 17.02.2015 को मण्डल में गठित स्पे" ल टीम के इंचार्ज सउनि आवेन्द्र प्रताप सिंह मय स्टाफ डकनिया स्टे" ल पर गस्त के दौरान गाड़ी संख्या-59840 के ठहराव के दौरान 01 यात्री नाम भूपेन्द्र पुत्र बद्रीलाल प्रजापति उम्र-23 वर्ष, जाति-कुम्हार, निवासी-झालावाड़ (राज0) के वणित ट्रेन के सामान्य कोच सं0 98506 में चढ़ते समय स्टे" ल पर मौजूद 01 अन्य व्यक्ति द्वारा यात्री की जेब में हाथ डालकर उसका पर्स चुरा लिया। उक्त स्पे" ल टीम द्वारा जेब कतरे को रंगे हाथ पकड़ा। पूछताछ करने पर जेब कतरे ने अपना नाम लक्ष्मी नायक पुत्र छोटू लाल उम्र-40 वर्ष, जाति-खटीक, निवासी-खटीक मोहल्ला कोटड़ी, थाना-गुमानपुरा, जिला- कोटा (राज0) बताया। पर्स में 630 रुपये नगद, 02 एओएम कार्ड तथा ड्राइविंग लाईसेंस, 01 आधार कार्ड तथा 01 यात्रा टिकट नं0 सी/13239710 डकनिया तलाव से झालावाड़ का पाया गया। उक्त जेबकतरे को मय तहरीर के जीआरपी/कोटा को सुपुर्द किया गया। जीआरपी द्वारा अ0क0-40/2015 धारा 379 भा0द0स0 दिनांक 17.02. 2015 कायम किया गया।

10. इस माह में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अभियान चलाकर धूम्रपान करते हुए पाये जाने पर 424 व्यक्तियों के विरुद्ध तम्बाकू अधिनियम (द्वितीय पञ्चम दण्ड विधिक अमृत जपेम उमद ज दक तमहन संजपवद विजतंकमए चतवकन बजपवदए नचचसल दक कपेजतपइनजपवद बजए 2003 के तहत कार्यवाही करते हुए उनसे 84,800/-रु. का जुर्माना वसूल किया गया।

रेल अधिनियम के तहत माह फरवरी-2015 में की गई कार्यवाही का विवरण :-

धारा	पंजीकृत मामले	जुमाना रु. में
137	3324	1565567
138	9551	4041313
139	0	0
141	240	105525
142	0	0
143	1	0
144	1115	309250
145	569	45600
146	3	600
147	399	40600
153	2	0
154	11	31000
155	724	33100
156	280	16800
157	1	700
159	523	56000
160	10	0
161	0	0
162	564	19600
163	0	0
164	0	0
165	0	0
166	0	0
167	39	2700
172	0	0
173	0	0
174	10	2500
175	0	0
176	0	0
180(g)	0	0
Total	17,366	62,70,855

.....